न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–144/2022

चन्द्रवंश नारायण सिंह.....वादी

बनाम

रघुवंश नारायण सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
21.02.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–01 की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 10.07.2023 पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–01 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 10.07.2023 में कहा गया है कि प्रतिवादी सं0–01 दिनांक 21.01.2023 को न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं0–01 अपने निजी काम से बाहर चले गये जिसके कारण निर्धारित सीमा के अंतर्गत अपना लिखित कथन दाखिल नही कर सका। फलस्वरूप न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2023 को प्रतिवादी सं0–01 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। प्रतिवादी सं0–01 ने जानबुझकर लिखित कथन दाखिल करने में विलंब नहीं किया है बल्कि परिस्थितिवश विलंब हो गया है। प्रतिवादी सं0–01 इस वाद में संघर्ष करना चाहता है। अगर श्रीमान् के आदेश दिनांक 08.06.2023 को वापस लेते हुये प्रतिवादी सं0–01 का जवाब स्वीकार कर संघर्ष करने का मौका नही दिया गया तो प्रतिवादी सं0–01 को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रतिवादी सं0–01 न्याय से वंचित हो जायेगा। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि बयान तहरीरी दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करते हुये आदेश दिनांक 08.06.2023 को वापस लेकर बयान तहरीरी को स्वीकृत करने की कृपा करें। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–01 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादी सं0–01 को प्रयाप्त समय देने के बावजूद प्रतिवादी सं0–01 द्वारा जानबुझकर बयान तहरीरी देने में विलंब किया गया। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01 दिनांक 21.01.2023 को	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–144/2022

चन्द्रवंश नारायण सिंह.....वादी

बनाम

रघुवंश नारायण सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 21.02.2024	न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 08.06.2023 को प्रतिवादी सं0–01 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया तथा प्रतिवादी सं0–01 दिनांक 10.07.2023 को अपना बयान तहरीरी न्यायालय में दाखिल किये। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–01 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–01 नियत समय के बाद दिनांक 10.07.2023 को न्यायालय में अपना बयान तहरीरी दाखिल किया है तथा प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 का आवेदन मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–01 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 18.03.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	